

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072025-264359 CG-DL-E-03072025-264359

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475] न No. 475] NEW DE

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2025/आषाढ़ 12, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2025/ASHADHA 12, 1947

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2025

फा. सं. एचक्यू-16024/4/2021-ईयू-II-एचक्यू(ई-5735).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 में पुन: संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: —

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन एवं अद्यतन) प्रथम संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. मूल विनियमों में, विनियम 27 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"जहां प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक आधार नंबर जारी किए गए हैं, वहां सबसे पहले आबंटित किए गए आधार नंबर, जिसमें आधार नंबर धारक की बा0योमेट्रिक सूचना शामिल है, को जारी रखा जाएगा तथा अन्य सभी आधार नंबर (नंबरों) का लोप किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि आबंटित किसी भी आधार नंबर में, आधार नंबर धारक की बायोमेट्रिक सूचना नहीं है, तो सबसे पहले आवंटित

आधार नंबर को जारी रखा जाएगा और अन्य सभी आधार नंबर (नंबरों) का लोप किया जाएगा।"

3. मूल विनियमों में, अनुसूची ॥ के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत :

अनुसूची-॥

[विनियम 10(2) और 19(4) देखें]

नामांकन और अद्यतन के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची

	पांच वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के	नाम	ांकन के लिए पहत्त	वान, पता, र	तंबंध या ज	नन्म तिथि को			
	साक्ष्यित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची								
	🗸 का अर्थ स्वीकार्य है	Х	का अर्थ अस्वीकार	र्य है					
• न	ामांकन प्रकार । : परिवार का मुखिया <i>(एचओएफ)</i> अ	ाधा	रित नामांकन						
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	(ालक/बालिका के परिवार के मुग् <i>एचओएफ)</i> के नाम	खेया न से युक्त	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का प्रमाण <i>(पीडीबी)</i>				
		स	बंध का प्रमाण <i>(प</i> दस्तावेज	र्ताओआर)		दस्तावेज			
1.	जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र		✓			√			
2.	वैध भारतीय पासपोर्ट (केवल <i>एनआरआई</i> के लिए लागू)	√			✓				
3.	कानूनी संरक्षकता साबित करने के लिए दस्तावेज		√			X			
• न	ामांकन प्रकार II : दस्तावेज आधारित नामांकन								
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची		नाम और फोटो से युक्त पहचान का प्रमाण <i>(पीओआई)</i> दस्तावेज	नाम और भ पते से युक्त प्रमाण <i>(पी</i> दस्तावेज	। पते का	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज			
4.	अधीक्षक/ <i>वार्डन</i> /मैट्रन/मान्यताप्राप्त आश्रय गृहों अनाथालयों की संस्था के प्रमुख द्वारा <i>यूआईडीएआई</i> मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्र (के आश्रय गृह या अनाथालय से संबंधित बालकों/बालिका के लिए)	के वल	√	~	,	X			

	ामांकन के इच्छुक प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) ौर भूटान नागरिकों तथा अन्य विदेशी नागरिकों के लिए		दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी), नेपाल
5.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड, उन	√	X *	√ #1
	व्यक्तियों के लिए जो पिछले 12 महीनों में 182 दिन या			
	उससे अधिक समय तक भारत में रहे हों			
6.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के	√	X *	√ #2
	अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी			
	और ईसाइयों) को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा <i>(एलटीवी)</i>			
	दस्तावेज			
7.	भारत में ठीक पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे	\checkmark	X *	√ #3
	अधिक समय तक रहे अन्य विदेशी नागरिकों के लिए,			
	जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के सहित वैध वीजा			
8.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का	\checkmark	X *	√ #4
	पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में,			
	निम्नलिखित दोनों दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :			
	(i) नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र			
	(ii) 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में			
	नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी			
	सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र			

* आधार नामांकन (पांच वर्ष से अधिक) के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची में पते का प्रमाण के रूप में दस्तावेज लागू होंगे।

- #1 ओसीआई कार्ड धारकों के लिए- वैध विदेशी पासपोर्ट।
- #2 वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) धारकों के लिए- वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी)।
- #3 विदेशी नागरिकों के लिए-वैध विदेशी पासपोर्ट।
- #4 नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट या नेपाल/भूटान की नागरिकता का प्रमाणपत्र
- नोट : उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत :—
- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;

- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या यूआईडीएआई को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापन योग्य है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी
 ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका प्रमाण नहीं है।

महत्वपूर्ण नोट :

- (क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- (ख) पांच वर्ष से कम आयु के बालकों/बालिकाओं के लिए परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षक परिवार का मुखिया बन सकता है।
- (ग) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए।
- (घ) एचओएफ आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- (ङ) पीओआर दस्तावेज में बालक/बालिका और एचओएफ के नाम का उल्लेख होना चाहिए।
- (च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/ अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (छ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में किया जाएगा।
- (ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (झ) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ञ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा
 ।
- (C) एचओएफ को बालक/बालिका के नाम पर जारी पहचान के प्रमाण (पीओआई) निम्न दस्तावेजों में से कोई
 भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :-
 - (i) भारतीय पासपोर्ट
 - (ii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/फोटो युक्त प्रमाणपत्र यथा अधिवास प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र आदि।
 - (iii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र।
 - (iv) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता प्रमाणपत्र।

	पांच वर्ष या उससे से अधिक आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पता, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची 🗸 का अर्थ स्वीकार्य है 🛛 X का अर्थ अस्वीकार्य है						
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण <i>(पीओए)</i> दस्तावेज	बालक/बालि का के नाम और परिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण <i>(पीओआर)</i> दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज		
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	√	√	\checkmark	√		
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	√	Х	Х	X		
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ	√	√	\checkmark	Х		
	कार्ड/ई-राशन कार्ड						
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई- मतदाता पहचान पत्र, जिसका	\checkmark	\checkmark	X	Х		
	नतादाता पहुंचान पत्र, जिसका ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग						
	या संबंधित मुख्य निर्वाचन						
	अधिकारी की वेबसाइट पर						
	ऑनलाइन प्रदर्शित किया						
	जाता है						
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	√	Х	X	x		
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार	√	X	X	✓		
	/पीएसयू/ नियामक निकाय/						
	सांविधिक निकाय द्वारा जारी						
	सेवा फोटो पहचान पत्र						

-					
7.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार/	\checkmark	Х	\checkmark	\checkmark
	पीएसयू / नियामक निकाय /				
	सांविधिक निकाय द्वारा जारी				
	पेंशनर फोटो पहचान पत्र /				
	स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान				
	पत्र / पेंशन भुगतान आदेश				
8.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/	\checkmark	Х	Х	Х
	पीएसयू द्वारा जारी				
	सीजीएचएस/ईसीएचएस/				
	ईएसआईसी/मेडी-क्लेम कार्ड				
9.	दिव्यांगजन अधिकार नियम,	\checkmark	√	Х	Х
	2017 के अंतर्गत जारी				
	दिव्यांगता पहचान पत्र/				
	दिव्यांगता प्रमाणपत्र				
10.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार	\checkmark	√	\checkmark	Х
	द्वारा जारी फोटो पहचान				
	पत्र/फोटोग्राफ युक्त प्रमाणपत्र				
	जैसे भामाशाह, अधिवास				
	प्रमाणपत्र, जन-आधार,				
	मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड,				
	लेबर कार्ड आदि				
11.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х
	द्वारा जारी अनुसूचित				
	जनजाति/अनुसूचित जाति/				
	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र				
12.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम	\checkmark	Х	\checkmark	√
	द्वारा स्थापित मान्यताप्राप्त				
	शैक्षिक बोर्ड या विश्वविद्यालय				
	या मानद् विश्वविद्यालय या				
	उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा				
	जारी अंक-तालिका/प्रमाणपत्र				
L			I		

13.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	\checkmark	√	Х	X
	(आरबीआई द्वारा वर्गीकृत)				
	द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी				
	और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त				
	पासबुक तथा प्रभारी शाखा				
	प्रबंधक से एक सहायक				
	प्रमाणपत्र सहित, जिसमें यह				
	प्रमाणित किया जाए कि				
	खाताधारक के संबंध में				
	केवाईसी पूरा हो गया है और				
	पासबुक में दर्शाये गए पते के				
	संबंध में पते का प्रमाण बैंक के				
	अभिलेख में उपलब्ध है				
14.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	का संरक्षण) अधिनियम, 2019				
	के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर				
	पहचान कार्ड/ प्रमाणपत्र				
15.	<i>यूआईडीएआई</i> मानक				I
	प्रमाणपत्र प्रारूप पर				
	निम्नलिखित द्वारा जारी				
	प्रमाणपत्र :				
	(i) सांसद/विधायक/	Х	\checkmark	Х	Х
	एमएलसी/नगर पार्षद्				
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह	Х	\checkmark	Х	X
	'ए'/ कर्मचारी भविष्य निधि				
	संगठन (ईपीएफओ)				
	अधिकारी				
	(iii) तहसीलदार/ राजपत्रित	Х	\checkmark	Х	X
	अधिकारी समूह 'बी'				

(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	✓	\checkmark	X	X
संगठन (नाको) / राज्य				
स्वास्थ्य विभाग के				
राजपत्रित अधिकारी/				
राज्य एड्स नियंत्रण				
सोसायटी के परियोजना				
निदेशक या उनके नामिती				
(आपराधिक अपील संख्या				
135/2010 में दिनांक				
19.05.2022 को माननीय				
सर्वोच्च न्यायालय के				
निर्णय के अनुसरण में)				
(v) मान्यताप्राप्त संस्थान,	√	\checkmark	Х	Х
आश्रय गृहों या अनाथालयों				
के अधीक्षक / <i>वार्डन</i> /				
मैट्रन / प्रमुख (केवल				
आश्रय गृह या अनाथालय				
से संबंधित बालकों/				
बालिकाओं के लिए)				
(vi) मान्यताप्राप्त शैक्षणिक	X	\checkmark	Х	Х
संस्थान (संस्थान के प्रमुख				
द्वारा हस्ताक्षरित, केवल				
संबंधित संस्थान के छात्रों				
के लिए)				

	(vii)ग्राम पंचायत प्रमुख/प्रधान	Х	J	X	Х
	या मुखिया/गांव	~	•	~	~
	बुरा/समकक्ष प्राधिकारी				
	(केवल ग्रामीण क्षेत्रों के				
	लिए) ग्राम पंचायत				
	अधिकारी या समकक्ष				
	(केवल ग्रामीण क्षेत्रों के				
	लिए)				
16.	बिजली का बिल	Х	✓	X	X
	(प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, 3				
	महीने से पुराना न हो)				
17.	पानी का बिल (3 महीने से	Х	√	Х	Х
	पुराना न हो)				
18.	टेलीफोन लैंडलाइन	Х	✓	X	Х
	बिल/पोस्टपेड मोबाइल				
	बिल/ब्रॉडबैंड बिल (3 महीने				
	से पुराना न हो)				
19.	वैध पंजीकृत बिक्री	Х	\checkmark	Х	Х
	अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में				
	पंजीकृत उपहार विलेख/				
	पंजीकृत या गैर पंजीकृत				
	किराया करार/ पट्टा करार/				
	अवकाश और लाइसेंस करार				
20.	गैस कनेक्शन बिल (3 महीने	Х	\checkmark	X	Х
	से पुराना न हो)				
21.	केंद्र सरकार/राज्य	Х	\checkmark	X	Х
	सरकार/पीएसयू / नियामक				
	निकाय/ सांविधिक निकाय				
	द्वारा जारी आवास का आबंटन				
	पत्र (1 वर्ष से पुराना न हो)				

22.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी	Х	J	Х	X
22.	(पॉलिसी जारी करने की	~	v	~	~
	,				
	तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)				
23.	जन्म और मुत्यु पंजीकरण	X	X	\checkmark	\checkmark
	अधिनियम, 1969 और इसके				
	अंतर्गत बनाये गए नियम के				
	अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी				
	द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र				
24.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार	Х	Х	\checkmark	Х
	द्वारा जारी किया गया परिवार				
	हकदारी दस्तावेज				
25.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर	\checkmark	\checkmark	X	X
	और मुहर सहित जारी किया				
	गया कैदी प्रवेशन दस्तावेज				
	(पीआईडी)				
26.	कानूनी संरक्षकता साबित	Х	Х	\checkmark	Х
	करने के लिए दस्तावेज				
	ने के इच्छुक प्रवासी भारतीय न और भूटान नागरिकों तथा अन्य				गेजा (एलटीवी),
27.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ	\checkmark	Х	X	√ #1
	वैध ओसीआई कार्ड, उन				
	व्यक्तियों के लिए जो पिछले 12				
	महीनों में 182 दिन या उससे				
	अधिक समय तक भारत में रहे				
	हों				
28.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और	√	√	X	√ #2
	पाकिस्तान के अल्पसंख्यक				
	समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध,				
	जैन, पारसी और ईसाइयों) को				
	जारी वैध दीर्घकालिक वीजा				
	<i>(एलटीवी)</i> दस्तावेज				
		1			

29.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के	✓	X	X	√ #3
	लिए नेपाल/भूटान का वैध				
	पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न				
	होने की स्थिति में निम्नलिखित में				
	से एक ही पते के कोई दो				
	दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते				
	हैं:-				
	(i) वैध नेपाली/भूटानी				
	नागरिकता प्रमाणपत्र				
	(ii) नेपाल/भूटान के चुनाव				
	आयोग द्वारा जारी वैध				
	मतदाता पहचान पत्र				
	(iii) भारत में नेपाली				
	मिशन/रॉयल भूटानी मिशन				
	द्वारा जारी प्रमाण पत्र				
30.	भारत में ठीक पिछले 12 महीनों	√	Х	X	√ #4
	में 182 दिनों या उससे अधिक				
	समय तक रहे अन्य विदेशी				
	नागरिकों के लिए जारी वैध				
	विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध				
	वीजा				
31.	विदेशी नागरिकों के लिए	X	\checkmark	X	Х
	एफआरआरओ/एफआरओ				
	द्वारा जारी वैध पंजीकरण				
	प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट				
	(<i>ओसीआई</i> कार्ड धारकों,				
	<i>एलटीवी</i> दस्तावेज धारकों				
	और नेपाल/भूटान के नागरिकों				
	को छोड़कर)				

#1 ओसीआई कार्ड धारकों के लिए- वैध विदेशी पासपोर्ट।

#2 वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी) धारकों के लिए-* वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी)*।

#3 विदेशी नागरिकों के लिए-वैध विदेशी पासपोर्ट।

#4 नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए - नेपाल/भूटान का पासपोर्ट या नेपाल/भूटान की नागरिकता का प्रमाणपत्र

नोट : उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत :—

- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या यूआईडीएआई को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापन योग्य है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी
 ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका प्रमाण नहीं है।

महत्वपूर्ण नोट:

- (क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- (ख) एक दस्तावेज को पहचान के प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होगा।
- (ग) एक दस्तावेज को पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और पता शामिल होगा।
- (घ) एक दस्तावेज को पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज दोनों में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम, फोटो और पता शामिल होगा।
- (ङ) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (च) सभी पीओआई, पीओए और डीओबी दस्तावेज व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन नहीं किए जा सकते है।
- (छ) यदि व्यक्ति के पास पीओआई और पीओए दस्तावेज नहीं हैं तो परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा।
- (ज) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पहले एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान एचओएफ को व्यक्ति के साथ मौजूद रहना होगा।
- (झ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।
- (ञ) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक मान्य होगा। हालाँकि,
 नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ट) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

- (ठ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक मान्य होगा।
- (ड) सभी दस्तावेज नवीनतम और वैध होने चाहिए (अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर)।

वि	किसी भी आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के अद्यतन के लिए पहचान, पता, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची √ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है						
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण <i>(पीओए)</i> दस्तावेज	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण <i>(पीओआर)</i> दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का प्रमाण <i>(पीडीबी)</i> दस्तावेज		
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√ *		
2.	पैन कार्ड / ई-पैन कार्ड	\checkmark	Х	Х	Х		
3.	राशन / पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड / ई-राशन कार्ड	\checkmark	√	√	х		
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र, जिसका ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है	✓	✓	X	X		
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	\checkmark	Х	Х	Х		
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	Х	X	✓ *		

7.	केंद्र सरकार /राज्य सरकार /	\checkmark	Х	\checkmark	√ *
	पीएसयू / नियामक निकाय /				
	सांविधिक निकाय द्वारा जारी				
	पेंशनर फोटो पहचान पत्र /				
	स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र				
	/ पेंशन भुगतान आदेश				
8.	किसान फोटो पासबुक	\checkmark	√	Х	x
9.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार /	√	Х	Х	X
	पीएसयू / द्वारा जारी सीजीएचएस				
	/ ईसीएचएस / ईएसआईसी /				
	मेडी-क्लेम कार्ड				
10.	दिव्यांगजन अधिकार नियम,	\checkmark	\checkmark	X	X
	2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता				
	पहचान पत्र / दिव्यांगता का				
	प्रमाणपत्र				
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х
	जारी फोटो पहचान पत्र /				
	फोटोग्राफ युक्त प्रमाणपत्र जैसे				
	भामाशाह, अधिवास प्रमाणपत्र,				
	मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर				
	कार्ड आदि				
12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार	\checkmark	√	\checkmark	Х
	द्वारा जारी फोटो युक्त / बिना				
	फोटो का विवाह प्रमाणपत्र (बिना				
	फोटो के विवाह प्रमाणपत्र होने की				
	स्थिति में, पुराने नाम और फोटो				
	समर्थित <i>पीओआई</i> दस्तावेज की				
	आवश्यकता है)				
13.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा	\checkmark	√	√	x
	जारी अनुसूचित				
	जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य				
	पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र				
L			1	1	1

14.	स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र	√	X	X	X
	(एसएलसी) / स्कूल स्थानांतरण				
	प्रमाणपत्र (टीसी)				
15.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा	√	X	√	√ *
	स्थापित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड				
	या विश्वविद्यालय या मानद				
	विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक				
	संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/				
	प्रमाणपत्र				
16.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	√	√	Х	X
	(आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा				
	जारी विधिवत मुहर लगी और				
	हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक				
	तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक				
	सहायक प्रमाणपत्र सहित, जिसमें				
	यह प्रमाणित किया जाए कि				
	खाताधारक के संबंध में केवाईसी				
	पूरा हो गया है और पासबुक में				
	दर्शाये गए पते के संबंध में पते का				
	प्रमाण बैंक के अभिलेख में				
	उपलब्ध है				
17.	अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक	Х	√	Х	X
	(आरबीआई द्वारा अधिसूचित) की				
	पासबुक, जिसमें नाम और				
	फोटोग्राफ (बैंक की सील सहित				
	क्रॉस स्टैम्प) हो तथा बैंक				
	अधिकारी के हस्ताक्षर हो /				
	डाकघर की बचत खाता पासबुक				
	(डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी				
	की मुहर सहित)				

18.	बैंक खाता विवरण / क्रेडिट कार्ड	Х	✓	X	X
	विवरण (जारीकर्ता बैंक के				
	अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक				
	स्टेम्प सहित) / डाकघर बचत				
	खाता विवरण (डाकघर के				
	जरीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर				
	मुहर सहित) (3 महीने से पुराना न				
	हो)				
19.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का	\checkmark	√	\checkmark	√ *
	संरक्षण) अधिनियम, 2019 के				
	अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान				
	कार्ड / प्रमाणपत्र				
20.	<i>यूआईडीएआई</i> मानक प्रमाणपत्र				<u> </u>
	प्रारूप पर निम्नलिखित द्वारा जारी				
	प्रमाणपत्र :				
	(i) सांसद/विधायक/	Х	√	X	X
	एमएलसी/नगर पार्षद				
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह	Х	√	X	X
	'ए'/ कर्मचारी भविष्य निधि				
	संगठन (ईपीएफओ) के				
	अधिकारी				
	(iii) तहसीलदार / राजपत्रित	Х	√	X	х
	अधिकारी समूह 'बी'				

(iv)	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन	\checkmark	√	Х	Х
	(नाको) / राज्य स्वास्थ्य				
	विभाग के राजपत्रित				
	अधिकारी/ राज्य एड्स				
	नियंत्रण सोसायटी के				
	परियोजना निदेशक या				
	उनके नामिती (आपराधिक				
	अपील संख्या 135/2010 में				
	दिनांक 19.05.2022 को				
	माननीय सर्वोच्च न्यायालय				
	के निर्णय के अनुसरण में)				
(v)	मान्यताप्राप्त संस्थान, आश्रय	\checkmark	√	Х	Х
	गृहों या अनाथालयों के				
	अधीक्षक / <i>वार्डन</i> / मैट्रन /				
	प्रमुख (केवल आश्रय गृह या				
	अनाथालय से संबंधित				
	बालकों/ बालिकाओं के				
	लिए)				
(vi)	मान्यताप्राप्त शैक्षणिक	Х	\checkmark	Х	Х
	संस्थान (संस्थान के प्रमुख				
	द्वारा हस्ताक्षरित, केवल				
	संबंधित संस्थान के छात्रों के				
	लिए)				
(vii)	ग्राम पंचायत प्रमुख/प्रधान	Х	\checkmark	Х	Х
	या मुखिया/गांव				
	बुरा/समकक्ष प्राधिकारी				
	(केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)				
	ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम				
	राजस्व अधिकारी या				
	समकक्ष (केवल ग्रामीण क्षेत्रों				
	के लिए)				
			1		

17

21.	बिजली का बिल (<i>प्रीपेड / पोस्टपेड</i>	X	\checkmark	X	X
	बिल, 3 महीने से पुराना न हो)				
22.	पानी का बिल (3 महीने से पुराना	X	✓	X	X
	न हो)				
23.	टेलीफोन <i>लैंडलाइन</i>	X	✓	Х	X
	बिल/ <i>पोस्टपेड</i> मोबाइल				
	बिल/ब्रॉडबैंड बिल (3 महीने से				
	पुराना न हो)				
24.	संपत्ति कर रसीद (1 वर्ष से पुराना	X	\checkmark	Х	Х
	न हो)				
25.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध /	X	√	Х	Х
	पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत				
	उपहार विलेख / पंजीकृत या गैर				
	पंजीकृत किराया करार / पट्टा				
	करार / अवकाश और लाइसेंस				
	करार				
26.	गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से	X	✓	Х	Х
	पुराना न हो)				
27.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार /	X	√	Х	Х
	पीएसयू / नियामक निकाय /				
	सांविधिक निकाय द्वारा जारी				
	आवास का आबंटन पत्र (1 वर्ष से				
	पुराना न हो)				
28.	जीवन / चिकित्सा बीमा पॉलिसी	X	✓	X	X
	(पॉलिसी जारी करने की तारीख से				
	1 वर्ष तक मान्य)				
29.	जन्म और मुत्यु पंजीकरण	X	X	\checkmark	✓
	अधिनियम, 1969 और इसके				
	अंतर्गत बनाये गए नियम के				
	अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा				
	जारी जन्म प्रमाणपत्र				
L					

-					
30.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा	X	X	✓	X
	जारी किया गया परिवार हकदारी				
	दस्तावेज				
31.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और	√	√	X	X
	मुहर सहित जारी किया गया कैदी				
	प्रवेशन दस्तावेज <i>(पीआईडी)</i>				
32.	परिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i>	X	Х	√	X
	यह प्रमाणित करते हुए स्व-घोषणा				
	कि वह व्यक्ति <i>एचओएफ</i> के साथ				
	उसी पते पर रह रहा है, केवल				
	एचओएफ के पते के मामले में				
	वैध (केवल <i>एचओएफ</i> के				
	<i>इमिडिएट</i> परिवार के				
	सदस्य/सदस्यों के पते के				
	अद्यतीकरण के संबंध में उपयोग				
	हेतु)				
33.	कानूनी संरक्षकता साबित करने के	X	Х	✓	X
	लिए दस्तावेज				
प्रवासी	। भारतीय नागरिक (ओसीआई) क	ार्ड धारकों, या दी	र्धकालिक वीज	। (एलटीवी), नेपा	ल और भूटान
के नाग	ारिकों तथा अन्य विदेशी नागरिकों	के लिए लागू दस्ता	वेज़		
34.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध	\checkmark	X	X	√ #1
	<i>ओसीआई</i> कार्ड				
35.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और	✓	✓	X	√ #2
	पाकिस्तान के मूल नागरिकों के				
	अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू,				
	सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और				
	ईसाइयों) को जारी वैध				
	दीर्घकालिक वीज़ा <i>(एलटीवी)</i>				
	दस्तावेज				

19

36.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए	\checkmark	X	X	√ #3
	नेपाल/भूटान का पासपोर्ट।				
	पासपोर्ट उपलब्ध न होने की				
	स्थिति में निम्नलिखित में से एक ही				
	पते के कोई दो दस्तावेज प्रस्तुत				
	किए जा सकते हैं :				
	(i) नेपाली / भूटानी नागरिकता				
	प्रमाणपत्र				
	(ii) नेपाल / भूटान के चुनाव				
	आयोग द्वारा जारी वैध				
	मतदाता पहचान पत्र				
	(iii) भारत में नेपाली मिशन /				
	रॉयल भूटानी मिशन द्वारा				
	जारी प्रमाणपत्र				
37.	अन्य विदेशी नागरिकों को जारी	✓	X	Х	√ #4
	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध				
	वीजा				
38.	विदेशी नागरिकों के लिए	Х	√	Х	X
	एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा				
	जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या				
	आवासीय परमिट (<i>ओसीआई</i>				
	कार्ड धारकों, <i>एलटीवी</i> दस्तावेज				
	धारकों और नेपाल/भूटान के				
	नागरिकों को छोड़कर)				
नाम, वि	लेंग और जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> के र	अपवादात्मक माम	नों के लिए लागू	्दस्तावेज :	l
L					

39.	नाम परिवर्तन के अपवादात्मक	√	X	Х	X
	मामलों के लिए : नए नाम की				
	राजपत्र अधिसूचना, फोटो सहित				
	पुराने नाम के किसी सहायक				
	<i>पीओआई</i> दस्तावेज (पहले/पूर्ण				
	नाम परिवर्तन के लिए) / तलाक				
	की डिक्री / गोद लेने का प्रमाणपत्र				
	/ विवाह प्रमाणपत्र				
40.	लिंग परिवर्तन के अपवादात्मक	√	Х	Х	X
	मामलों के लिए : यदि निवासी ने				
	सर्जरी द्वारा लिंग बदला है तो				
	सर्जन से चिकित्सा प्रमाणपत्र				
41.	जन्मतिथि परिवर्तन के	Х	X	Х	√
	अपवादात्मक मामलों के लिए:				
	जन्म और मुत्यु पंजीकरण				
	अधिनियम, 1969 और इसके				
	अंतर्गत बनाए गए नियम के अधीन				
	अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी				
	जन्म प्रमाणपत्र के साथ				
	अधिसूचित प्रारूप के अनुसार				
	स्वघोषणा पत्र				
L			·		

*0-18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की जन्म तिथि अद्यतीकरण के लिए संबंधित राज्यों के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

#1 ओसीआई कार्ड धारकों के लिए- वैध विदेशी पासपोर्ट।

#2 वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) धारकों के लिए- वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज।

#3 नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए - नेपाल/भूटान का पासपोर्ट या नेपाल/भूटान की नागरिकता का प्रमाणपत्र

#4 विदेशी नागरिकों के लिए - वैध विदेशी पासपोर्ट।

नोट: उपर्युक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करता हो, नामत : —

- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;

- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या यूआईडीएआई को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापन योग्य है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी
 ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका प्रमाण नहीं है।

महत्वपूर्ण नोट:

- (क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- (ख) एक दस्तावेज को पहचान के प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें
 व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होगा।
- (ग) एक दस्तावेज को पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और पता शामिल होगा।
- (घ) एक दस्तावेज को पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज दोनों में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम, फोटो और पता शामिल होगा।
- (ङ) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना का विचार नहीं किया जाएगा।
- (च) पीओआई, पीओए और पीडीबी दस्तावेज व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर परिवार के अन्य सदस्यों के आधार अद्यतित नहीं किए जा सकते हैं।
- (छ) व्यक्ति के नाम पर पीओआई और पीओए दस्तावेज न होने की स्थिति में, परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित अद्यतन का उपयोग किया जाएगा।
- (ज) एचओएफ आधारित अद्यतन करने से पहले एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए अद्यतन के दौरान एचओएफ को व्यक्ति के साथ मौजूद रहना होगा।
- (झ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।
- (ञ) बालक/बालिका (0-5 वर्ष) के मामले में, आधार में नाम "बेबी ऑफ..." है तो, जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत और उसके अधीन बनाए नियमों के अधीन अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, पूर्ण नाम के प्रथम अद्यतन अनुरोध पर विचार किया जाएगा।
- (ट) विदेशी नागरिकों के लिए आधार में अद्यतन केवल आधार वयस्क नामांकन केंद्रों पर किया जाएगा।
- (ठ) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक मान्य होगा। हालाँकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ड) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

- (ढ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक मान्य होगा।
- (ण) कृपया जन्म तिथि परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा देखें-[@]
- (त) कृपया अपवाद हैंडलिंग तंत्र देखें [\$]
- (थ) अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले की उचित पड़ताल के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।
- (द) सभी दस्तावेज नवीनतम और वैध होने चाहिए (अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर)।
- (ध) विवाह के पश्चात अपने नाम में परिवर्तन करने वाली महिला की जन्मतिथि अद्यतन करने के मामले में, विवाह से पूर्व जारी किए गए जन्मतिथि प्रमाण के दस्तावेज को विवाह प्रमाणपत्र या विवाह के पश्चात नाम में परिवर्तन को प्रमाणित करने वाले संबंध के किसी अन्य प्रमाण दस्तावेज के साथ स्वीकार किया जाएगा।
- (न) परिवार के मुखिया (एचओएफ) के आधार पर नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) के नाम में मामूली अद्यतन (जैसे उपनाम में जोड़ना/हटाना/परिवर्तन, ध्वन्यात्मकता के कारण वर्तनी में परिवर्तन, विस्तार/ संक्षिप्ति, बशर्ते प्राथमिक नाम अपरिवर्तित रहे) पर संशोधित नाम वाले जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर विचार किया जाएगा।
- @- https://uidai.gov.in/images/SOP_for_DOB_update.pdf
- \$- https://uidai.gov.in/images/Biometric_exception_guidelines_01-08.2014.pdf

राहुल कुमार, निदेशक [विज्ञापन-111/4/असा./208/2025-26]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में दिनांक 14 सितंबर, 2016 को, अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई (2016 की संख्या 2), दिनांक 12 सितंबर, 2016 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-I-एचक्यू (ई), दिनांक 25 जनवरी, 2024 (27 जनवरी, 2024 को प्रकाशित) के तहत किया गया था।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2025

F. No. HQ-16024/4/2021-EU-II-HQ(E-5735).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) First Amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal regulations, in regulation 27, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

"Where the Authority is satisfied that more than one Aadhaar number has been issued to the same person, the Aadhaar number assigned the earliest and containing the biometric information of the Aadhaar number holder shall be retained and all other Aadhaar number(s) shall be omitted.

Provided that if none of the assigned Aadhaar numbers contain biometric information of the Aadhaar number holder, the Aadhaar number assigned the earliest shall be retained and all other Aadhaar number(s) shall be omitted."

3. In the principal regulations, for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely: —

"SCHEDULE II

[see regulations 10(2) and 19(4)]

List of Acceptable Documents for Enrolment and Update

L	ist of Documents that may be presented to evidence Proof of Ide. for Aadhaar Number of Individu	• ·	-	for Enrolment
	\checkmark means allowed and X m	=	0	
• Ei	nrolment Type I: Head of the Family (HoF) based enrolment			
SI. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Relationship (POR)document, containing name of child and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB document, containing name and Date of B	
1.	Birth certificate issued by Authorised Authority (in the respective States) under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	V	~	
2.	Valid Indian Passport (only applicable for NRIs)	v	V	
3.	Document to prove legal guardianship	v	X	
• E1	nrolment Type II: Document based Enrolment			
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (POI) document, containing name and photograph	Proof of Address (POA) document, containing name and address in India	Proof of Date o Birth (PDB) document, containing name and Date
4.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognised shelter homes or orphanages (only for children of the shelter home or orphanage concerned)	~	<i>v</i>	of Birth X
	ocuments applicable for holders of Overseas Citizen of India (OC	CI) card, nationals of No	epal and Bhutan and o	other foreign
<u>na</u> 5.	Valid OCI card, along with valid foreign passport, for individual who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	~	X*	✓ ^{#1}
6.	Valid Long Term Visa (LTV) document, issued to minorities communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	<i>v</i>	X*	✓ #2
7.	Valid visa, along with valid foreign passport issued, to other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	V	X*	✓ #3
8.	 Passport of Nepal/Bhutan for nationals of Nepal/Bhutan. In case passport is not available, both of the following documents to be submitted: (i) Valid Nepalese/Bhutanese Citizenship Certificate (ii) Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission/Royal Bhutanese Mission in India for stay of more than 182 days. Proof of Address documents as in the list of acceptable supporting of the support of the super support of the suppor	~	X*	✓ #4

* Proof of Address documents as in the list of acceptable supporting documents for Aadhaar enrolment (above five years) will be applicable.

#1 For OCI Card holders – Valid foreign passport.

#2 For valid Long-Term Visa (LTV) holders - Long-Term Visa (LTV) document.

#3 For foreign nationals – Valid foreign passport.

#4 For nationals of Nepal and Bhutan – Nepalese / Bhutanese Passport or Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate.

- (a) It is currently valid (unless otherwise expressly provided for above);
- (b) The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
- (c) If the information contained in the document is publicly displayed or otherwise accessible to UIDAI online or is verifiable offline through digital means made available by the authority issuing the same, such information is verified if such means are used; and
- (d) The authority issuing the document presented to evidence proof of identity, address, date of birth or relationship has not made any declaration in respect of such category of document that such document is not proof of the same.

Important Note:

- (a) For resident Indian and non-resident Indian (NRI) born on and after 1.10.2023, Birth Certificate is mandatory.
- (b) Head of Family (HoF) based enrolment is mandatory (except for children residing in shelter homes or orphanages and foreign national seeking enrolment) for children below five years of age. Any one of the parent or legal guardian can become HoF.
- (c) HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment.
- (d) Aadhaar number of both the parents is required for HoF based enrolment and biometric authentication by one of the parents is mandatory.
- (e) Name of the child and HoF must be mentioned in the PoR document.
- (f) Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual's Aadhaar. No additional information like parent/guardian first name, middle name and last name will be considered.
- (g) The address mentioned in the HoF Aadhaar will be used in the child's Aadhaar.
- (h) For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- (i) For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- (j) For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- (k) HoF is encouraged to provide any of the following Proof of Identity (PoI) documents issued in the name of the child:
 - (i) Indian passport
 - (ii) Photo Identity Card/Certificate with photograph issued by Central Government /State Government, such as Domicile Certificate, Resident Certificate etc.
 - (iii) ST/ SC/ OBC Certificate issued by Central Government /State Government
 - (iv) Disability Identity Card/Certificate of Disability issued under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017

List	List of Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for Enrolment							
	for Aadhaar Number of Individual Five Years and above of Age we means allowed and X means not allowed							
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (POI) document, containing name and photograph	Proof of Address (POA) document, containing name and address in India	Proof of Date of Birth (PDB)document, containing name and Date of Birth				
1.	Valid Indian Passport	~	~	~	~			
2.	PAN Card/e-PAN Card	~	X	X	X			
3.	Ration /PDS Photograph Card/e-Ration Card	~	~	~	X			
4.	Voter Identity Card /e-Voter Identity Card whose details are displayed online on the website of the Election Commission of India or the Chief Electoral Officer concerned	V	V	X	X			
5.	Driving licence	~	X	X	X			
6.	Service Photo Identity Card issued by Central Government/ State Government/ PSU/ regulatory body / statutory body	~	X	X	~			

7.	Pensioner Photo Identity Card / Freedom	~	X	✓	✓
	Fighter Photo Identity Card / Pension				
	Payment Order issued by Central				
	Government/ State Government/ PSU /				
	regulatory body / statutory body				
8.	CGHS/ ECHS/ ESIC/ Medi-Claim Card	~	X	X	X
	issued by Central Government/ State				
	Government/ PSU				
9.	Disability Identity Card / Certificate of	~	v	X	X
	Disability issued under Rights of Persons	•	•		
	with Disabilities Rules, 2017				
10.	Photograph Identity Card / Certificate				X
10.		v	~	V	Λ
	with photograph issued by Central				
	Government/ State Government, such as				
	under Bhamashah scheme, Domicile				
	Certificate, MGNREGA/NREGS Job				
	Card, Labour Card, etc.				
11.	Scheduled Tribe(ST)/ Scheduled	~	v	v	X
	Cast(SC)/Other Backward Cast (OBC)				
	Certificate issued by Central				
	Government/ State Government				
12.	Mark-sheet/Certificate issued by	4	X	~	
14.		v	Λ	v	· ·
	university or deemed university or higher				
	educational institution established by a				
	Central or State Act				
13.	Passbook with photograph issued by a	✓	✓	X	X
	Public Sector Bank (as categorised by				
	RBI), duly stamped and signed, along				
	with a supporting certificate from the				
	branch manager in charge certifying that				
	KYC in respect of the account holder is				
	complete and the proof of address for the				
	address shown in the passbook is				
	available in the bank's record				- · · ·
14.	Third gender / Transgender Identity Card	~		v	v
	/ Certificate issued under the Transgender				
	Persons (Protection of Rights) Act, 2019				
15.	Certificate issued on UIDAI Standard				
	Certificate format by:				
		V		V	v
	(i) MP/ MLA/ MLC/ Municipal	X		X	X
	Councillor				
	(ii) Gazetted Officer Group	X	✔	X	X
	'A'/Employees Provident Fund				
	Organisation (EPFO) Officer				
	(iii) Tehsildar/ Gazetted Officer Group	X	v	X	X
	'B'	21	· ·	41	<u>^</u>
				V	v
	(iv) Gazetted Officer at National AIDS	~	✓	X	X
	Control Organisation (NACO) /				
	State Health Department / Project				
	Director of the State AIDS Control				
	Society or his nominee (in				
	pursuance of Hon'ble Supreme				
	Court Judgment in Criminal Appeal				
	No(s). 135/2010 dated 19.5.2022)				
		~	_	X	X
1	(v) Superintendent/ Warden/ Matron/	v		Δ	Δ
	Hand of Institution of researching.				
	Head of Institution of recognised				
	shelter homes or orphanages (only				

	(vi) Recognised educational institution (signed by the Head of Institute, only for the institute students concerned).	X	~	X	X
	 (vii) Village Panchayat Head/ President or Mukhiya/ Gaon Bura/ equivalent authority (for rural areas)/ Village Panchayat Secretary/ Village Revenue Officer or equivalent (for rural areas) 	X	~	X	X
16.	Electricity bill (pre-paid/post-paid bill, not older than 3 months)	X	~	X	X
17.	Water bill (not older than 3 months)	X	~	X	X
18.	Telephone landline bill/ post-paid mobile bill/ broadband bill (not older than 3 months)	X	~	X	X
19.	Valid sale agreement/ gift deed registered with the Registrar Office, or registered or unregistered rent, lease agreement or leave and licence agreement	X	~	X	X
20.	Gas connection bill (not older than 3 months)	X	~	X	X
21.	Allotment letter of accommodation issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body (not older than 1 year)	X	~	X	X
22.	Life or medical insurance Policy (valid up to 1 year from the date of issue of the Policy)	X	~	X	X
23.	Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	X	X	V	V
24.	Family entitlement document issued by Central Government/ State Government	X	X	V	X
25.	Prisoner Induction Document (PID) issued by Prison Officer, with signature and seal	~	~	X	X
26.	Document to prove legal guardianship	X	X	✓	X
	uments applicable for holders of Overseas Cit an and other foreign nationals seeking enrob		OCI) card, or Long 7	Ferm Visa (LTV), nati	onals of Nepal and
27.	Valid OCI card, along with valid foreign passport, for individual who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	~	X	X	✓ ^{#1}
28.	Valid Long Term Visa (LTV) document, issued to minorities communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	V	~	X	√ #2

29.	 Valid Passport of Nepal/Bhutan for nationals of Nepal/Bhutan. In case passport is not available, any two of the following documents having the same address may be submitted: (i) Valid Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate (ii) Valid Voter Identity Card issued by the Election Commission of Nepal/ Bhutan (iii) Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission/ Royal Bhutanese Mission in India 	~	X	X	√ #3
30.	Valid visa, along with valid foreign passport issued, to other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	>	X	X	✓ #4
31.	Valid Registration Certificate or Residential permit issued by FRRO/FRO to the foreign national (except OCI Card holders, LTV document holders and Nepal/Bhutan nationals)	X	~	X	X

#1 For OCI Card holders – Valid foreign passport.

#2 For valid Long-Term Visa (LTV) holders - Long-Term Visa (LTV) document.

#3 For nationals of Nepal and Bhutan – Nepalese / Bhutanese Passport or Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate.

#4 For foreign nationals – Valid foreign passport.

(a) It is currently valid (unless otherwise expressly provided for above);

- (b) The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
- (c) If the information contained in the document is publicly displayed or otherwise accessible to UIDAI online or is verifiable offline through digital means made available by the authority issuing the same, such information is verified if such means are used; and
- (d) The authority issuing the document presented to evidence proof of identity, address, date of birth or relationship has not made any declaration in respect of such category of document that the same is not proof of the same.

Important Note:

- (a) For resident Indian and Non Resident Indian (NRI) born on and after 01.10.2023, birth certificate is mandatory.
- (b) A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains Name and Photograph of the individual.
- (c) A document is accepted as Proof of Address (PoA) document only if it contains Name and Address of the individual.
- (d) A document is accepted as both Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA) document only if it contains Name, Photograph and Address of the individual.
- (e) Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual"s Aadhaar. No additional information like parent/guardian first name, middle name and last name will be considered.
- (f) All the PoI, PoA, DoB documents shall be issued on the name of the individual. Documents in the name of the family member/members cannot be considered for enrolment of the other family members.
- (g) Head of Family (HoF) based enrolment shall be used in case individual does not have PoI and PoA documents.
- (h) HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment. HoF must accompany the individual during enrolment for his / her Aadhaar Authentication.
- (i) The address mentioned in the HoF Aadhaar will be used in the family member's Aadhaar.
- (j) For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- (k) For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- (I) For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- (m) All the documents should be latest and valid (except otherwise specified)

List of Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for Update of Information in respect of Aadhaar Number Holder of any Age \checkmark means allowed and X means not allowed Proof of Proof of **Proof of Date of** Relationship Birth (PDB) **Proof of Identity** Address (POA) List of documents (POR)document, SI. (POI) document, document, document, (see note below this tabular containing name of No. containing name and containing containing statement) child and name of photograph name and name and Date Head of Family address in India of Birth (HoF) ∕* 1. Valid Indian Passport 1 1 V 2. PAN Card/e-PAN Card ~ X X X 3. Ration / PDS Photograph Card / e-~ X V V Ration Card Voter Identity Card /e-Voter Identity 4. V 1 X X Card, whose details are displayed online on the website of the Election Commission of India or the Chief Electoral Officer concerned X X X 5. Driving licence 1 Service Photo Identity Card issued by X X ∕* 6. 1 Central Government/ State Government/ PSU/ regulatory body / statutory body ∕* 7. Pensioner Photo Identity Card / X 1 1 Freedom Fighter Photo Identity Card / Pension Payment Order issued by Government/ Central State Government/ PSU / regulatory body / statutory body 8. Kisan Photo Passbook X X V 1 9. CGHS/ ECHS/ ESIC/ Medi-Claim X X X Card issued by Central Government/ State Government/ PSU 10. Disability Identity Card / Certificate X X 1 of Disability issued under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 11. Photograph Identity Card / Certificate X V 1 with photograph issued by Central Government/ State Government, such as under Bhamashah scheme, Domicile Certificate, MGNREGA/NREGS Job Card, Labour Card, etc. 12. Marriage Certificate with or without V X 1 1 photograph issued by Central Government/ State Government (supporting PoI document of old name and photograph is required if the Marriage Certificate is without photograph) ST / SC / OBC Certificate issued by 13. V V V X Central Government / State Government School Leaving Certificate (SLC)/ 14. X X X 1 School Transfer Certificate (TC)

15.	Mark-sheet/Certificate issued by recognised Board of Education or university or deemed university or higher educational institution established by a Central or State Act	~	X	V	✔*
16.	Passbook with photograph issued by a Public Sector Bank (as categorised by RBI), duly stamped and signed, along with a supporting certificate from the branch manager in charge certifying that KYC in respect of the account holder is complete and the proof of address for the address shown in the passbook is available in the bank's record	~	r	X	X
17.	Scheduled Commercial Bank's (notified by RBI) Passbook having Name and Photograph (cross stamped with Bank seal) and signed by bank official/ Post Office Savings Account Passbook (with stamp and signature of issuing official of post office)	X	~	X	X
18.	Bank Account Statement/ Credit Card Statement (with Bank stamp & signature of issuing bank official)/ Post Office Savings Account Statement (with stamp and signature of issuing official of post office) (not older than 3 months)	X	V	X	X
19.	Third gender / Transgender Identity Card / Certificate issued under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019	~	~	V	✔*
20.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by:				
	(i) MP / MLA / MLC / Municipal Councillor	X	~	X	X
	(ii) Gazetted Officer Group 'A'/ Employees Provident Fund Organisation (EPFO) Officer	X	~	X	X
	(iii) Tehsildar/ Gazetted Officer Group 'B'	X	~	X	X
	 (iv) Gazetted Officer at National AIDS Control Organisation (NACO)/State Health Department / Project Director of the State AIDS Control Society or his nominee (in pursuance of Hon'ble Supreme Court Judgment in Criminal Appeal No(s). 135/2010 dated 19.5.2022) 	~	~	X	X
	 (v) Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognised shelter homes or orphanages (only for children of shelter home or orphanage concerned) 	V	V	X	X

	(vi) Recognised educational institution (signed by the Head of Institute, only for the institute students concerned)	X	~	X	X		
	(vii) Village Panchayat Head/ President or Mukhiya/ Gaon Bura/ equivalent authority (for rural areas)/ Village Panchayat Secretary/ Village Revenue Officer or equivalent (for rural areas)	X	`	X	X		
21.	Electricity bill (pre-paid/post-paid bill, not older than 3 months)	X	~	X	X		
22.	Water bill (not older than 3 months)	X	~	X	X		
23.	Telephone landline bill/ post-paid mobile bill/ broadband bill (not older than 3 months)	X	~	X	X		
24.	Property Tax Receipt (not older than 1 year)	X	~	X	X		
25.	Valid sale agreement/ gift deed registered with the Registrar Office, or registered or unregistered rent, lease agreement or leave and licence agreement	X	~	X	X		
26.	Gas connection bill (not older than 3 months)	X	~	X	X		
27.	Allotment letter of accommodation issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body (not older than 1 year)	X	~	X	X		
28.	Life or medical insurance Policy (valid up to 1 year from the date of issue of the Policy)	X	~	X	X		
29.	Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	X	X	v	V		
30.	Family entitlement document issued by Central Government/ State Government	X	X	~	X		
31.	Prisoner Induction Document (PID) issued by Prison Officer, with signature and seal	5	~	X	X		
32.	Self-declaration from the Head of Family (HoF) certifying the relationship with the individual residing at the same address as HoF, valid only for borrowing address of HoF. (to be used only for address update of immediate family member/members of HoF)	X	X	~	X		
33.	Document to prove legal guardianship	X	X	~	X		
Documents applicable for holders of Overseas Citizen of India (OCI) card, Long Term Visa (LTV), nationals of Nepal and Bhutan and other foreign nationals							
34.	Valid OCI card, along with valid foreign passport	4	X	X	✓ ^{#1}		

	** 11 1 * · · · · · · ·		-					
35.	Valid Long Term Visa (LTV)	~	~	X	✓ ^{#2}			
	document, issued to minorities communities of Afghanistan,							
	Bangladesh and Pakistan (Hindus,							
	Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and							
	Christians)							
36.	Passport of Nepal/Bhutan for	v	X	X	✓ ^{#3}			
	nationals of Nepal/Bhutan. In case							
	passport is not available, any two of							
	the following documents having the							
	same address may be submitted:							
	(i) Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate							
	(ii) Valid Voter Identity Card							
	issued by the Election							
	Commission of Nepal/ Bhutan							
	(iii) Limited validity Photo Identity							
	Certificate issued by Nepalese							
	Mission/ Royal Bhutanese							
	Mission in India							
37.	Valid visa, along with valid foreign	v	X	X	✔#4			
	passport issued, to other foreign							
38.	nationals Valid Registration Certificate or	X		X	X			
30.	Residential permit issued by	Δ	v	Λ	Λ			
	Foreigners Regional Registration							
	Office (FRRO) /Foreigners							
	Registration Office (FRO) to the							
	foreign national (except OCI Card							
	holders, LTV document holders and							
	Nepal/ Bhutan nationals)							
Docur	Documents applicable for exception cases of name, gender and date of birth (DoB):							
		· _						
39.	For exception cases of name change:	✓	X	X	X			
	Gazette Notification of new name							
	alongwith any supporting POI document of old name with							
	Photograph (for first/full name							
	change)/Divorce Decree/ Adoption							
	Certificate/ Marriage Certificate							
40.	For Exception cases of Gender	v	X	X	X			
	Change: Medical Certificate from							
	surgeon, in case individual changed							
41	gender surgically	**	**					
41.	For exception cases of DoB Change:	X	X	X	~			
	Self Declaration as per notified							
	format along with Birth certificate issued by Authorised Authority under							
	the Registration of Births and Deaths							
	Act, 1969, read with the rules made							
	thereunder							
•		-	-	·	•			

* DoB update of all individual between the age group of 0-18 years mandatorily requires Birth Certificate issued by Authorized Authority of the respective States.

#1 For OCI Card holders - Valid foreign passport.

#2 For valid Long-Term Visa (LTV) holders - Long-Term Visa (LTV) document.

#3 For nationals of Nepal and Bhutan - Nepalese / Bhutanese Passport or Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate.

#4 For foreign nationals – Valid foreign passport.

Note:

- (a) It is currently valid (unless otherwise expressly provided for above);
- (b) The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
- (c) If the information contained in the document is publicly displayed or otherwise accessible to UIDAI online or is verifiable offline through digital means made available by the authority issuing the same, such information is verified if such means are used; and
- (d) The authority issuing the document presented to evidence proof of identity, address, date of birth or relationship has not made any declaration in respect of such category of document that such document is not proof of the same.

Important Note:

- (a) For resident Indian and Non Resident Indian (NRI) born on and after 01.10.2023, birth certificate is mandatory.
- (b) A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains Name and Photograph of the individual.
- (c) A document is accepted as Proof of Address (PoA) document only if it contains Name and Address of the individual.
- (d) A document is accepted as both Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA) document only if it contains Name, Photograph and Address of the individual.
- (e) Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual's Aadhaar. No additional information like parent/guardian first name, middle name and last name will be considered.
- (f) PoI, PoA and PDB documents shall be issued on the name of the individual. Documents in the name of the family member/members cannot be considered for Aadhaar update of the other family members.
- (g) Head of Family (HoF) based Aadhaar update shall be used in case individual does not have PoI and PoA documents.
- (h) HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based update. HoF must accompany the individual during update for his / her Aadhaar Authentication.
- (i) The address mentioned in the HoF Aadhaar will be used in the family member's Aadhaar.
- (j) In case of child (0-5 years) having name as "Baby of" in Aadhaar, the first update request for full name change shall be allowed by submission of Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder.
- (k) Aadhaar update for foreigner national will be conducted at Aadhaar adult enrolment centres only.
- (1) For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- (m)For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- (n) For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- (o) Please refer Self Declaration for DoB Change [@]
- (p) Please refer Exception Handling Mechanism [\$]
- (q) Exception handling process is carried out under jurisdiction of UIDAI Regional Offices and considered only after due diligence of the case by the Regional Office concerned.
- (r) All the documents should be latest and valid (except otherwise specified).
- (s) In case of date of birth update of woman who has changed their name post-marriage, proof of date of birth documents issued premarriage will be accepted along with marriage certificate or any other proof of relationship document evidencing the name change post-marriage.
- (t) Head of Family (HoF) based minor updates in name (viz. addition/ deletion/ change in surname, change in spelling owing to phonetics, expansion/ abbreviation provided the primary name remains unchanged) of a minor (below 18 years of age) shall be permitted based on Birth Certificate bearing the revised name.

@- https://uidai.gov.in/images/SOP_for_DOB_update.pdf

\$- https://uidai.gov.in/images/Biometric_exception_guidelines_01-08-2014.pdf

RAHUL KUMAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./208/2025-26]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 14th September, 2016, *vide* notification number 13012/64/2016/ Legal/UIDAI (No. 2 of 2016), dated the 12th September, 2016, and were last amended *vide* Notification No. HQ-16016/1/2023-EU-I-HQ(E), dated the 25th January, 2024 (published on 27th January, 2024).

***"

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.